कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2018/FCA/PCCF/CCFEDS –I Dated 17.7.2019

प्रस्ताव का नामः— Construction of Lilo From 220 KV S/C Jhalawar – Chhabra line at Proposed 220 kv GSS Aklera, District Jhalawar.
यूजर ऐजेन्सी का नाम :— Executive Engineer, RRVPNL KOTA
प्रत्यावर्तित वन क्षैत्र :— 25.2 Ha (revised 24.4888 ha)
प्रभावित जिला एवं वनमंडलः— Jhalawar forest division
प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथीः— FP/RJ/TRANS/37434/2018 13.12.2018
मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्र दिनांक 27.6.2019 से प्राप्त प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत हैः—

1. उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना 50 है0 में प्रस्तावित की गई है। जबकि पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में 48.977 है0 अंकित किंया गया है, संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
2. उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा पार्ट II में वृक्षो की सूची में रोझ एवं खेजडी का वानस्पितिक नाम एक ही अंकित किया गया है साथ ही कुढ वृक्षो का वानस्पितिक नाम अंकित नही किया गया है। संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3. उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा 6684 वृक्ष पारेषण लाईन के नीचे आना अंकित किया गया है किन्तु यह स्पष्ट नही किया गया है कि कितने वृक्षो का पातन किया जावेगा एवं कितने वृक्षो की छंगाई की जावेगी। पृथक – पृथक सूची संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
4. उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा 24.4888 है0 वन क्षैत्र में 6684 वृक्ष पारेषण लाईन के नीचे आना अंकित किया गया है एवं छत्र घनत्व 0.38 अंकित किया गया है कृपया पुनः परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
5. उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा संलग्न किये गये स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन भूमि विभिन्न वनखण्डो से गुजर रही है किन्तु वनखण्डवार स्थिति स्पष्ट नही है कि किन किन वनखण्डो का कितना कितना वन क्षैत्र प्रभावित हो रहा है, स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
6. उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना अंकित किया गया है एवं उक्त के कम में एफ0आई0आर0 भी जारी करना अंकित किया गया है उक्त एफ0आई0आर0 की क्या स्थिति है स्पष्ट करे एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.1.2019 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए तथ्यात्मक विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
7. उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा कुछ दस्तावेज विशेषकर गजट नोटिफिकेशन आदि का प्रमाणीकरण नही किया गया है। प्रमाणीकरण के साथ साथ हसताक्षर के नीचे मुहर भी अंकित की जानी प्रस्तावित है।
8. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है जबकि उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम स्तरीय समिति बैठक कार्यवाही विवरण हार्ड प्रति में संलग्न किया गया है। जिला स्तरीय समिति बैठक कार्यवाही विवरण एवं प्रपत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

उक्तानुसार सूचना भिजवाये जाने हेतु संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को निर्देशित किया जाता है।

18/7/19
(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR